:: अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर ::

क्रमांकःराशन / सब्जी / निविदा / 2023–24 / 239–248 दिनांकः 19 / 04 / 2023

:: ई–निविदा दर आमंत्रण सूचना ::

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** के अधीन केन्द्रीय / जिला कारागृह एवं इनके अधीनस्थ उप कारागृहों, महिला वंदी सुधारगृह में निरूद्ध वन्दियों की कारागृहों वार भोजन व्यवस्था हेतु ऋतु वर्गीकरण अनुसार हरी सब्जियां तथा अन्य सामग्रियों हेतु दर अनुवंध किये जाने के लिए ई–वोली आमंत्रित की जाती है। ई–वोली दिनांक 20 / 04 / 2023 को सायंकाल 05.00 वजे से प्रारंभ की जाकर वेवसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वेवसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती हैः–

1.	वोली दस्तावेज डाउनलोड़ प्रारम्भ की तिथि	20 / 4 / 2023 को सायंकाल 5.00 PM के उपरान्त
2.	वोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	20 / 4 / 2023 को सायंकाल 5.00 PM के उपरान्त
3.	वोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	29 / 4 / 2023 को ~~सायं~~काल 01.00 PM तक
4.	तकनीकी वोली खोले जाने की दिनांक व समय	29 / 4 / 2023 को दोपहर 03.00 PM से
5.	निविदा खोलने का स्थान	**अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर**

वोली प्रपत्र शुल्क प्रति वोली एवं वोली प्रतिभूति राशि तथा ई–वोली प्रक्रिया शुल्क (अनुसूची ''ख'' अनुसार) के ई–ग्रास चालान द्वारा जमा करवाकर वोली के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है।

विस्तृत वोली आमंत्रण सूचना, वोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण वोली की वैवसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैवसाईट http://www.rajprisons.nic. पद अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैवसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते है।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह
उदयपुर

क्रमांकःराशन / सब्जी / निविदा / 2023–24 / 239–248 दिनांकः 19 / 04 / 2023

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष / सदस्य / सदस्य सचिव..।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई–बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र, 50,000 प्रतियों में और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस वोर्ड चस्पा हेतु।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह
उदयपुर

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अनुसूची–''ख''

कारागृहों की सूची

(अनुमानित श्रमिक एवं अश्रमिक बन्दी संख्या, समस्त ऋतु वर्गीकरण अनुसार हरी सब्जी तथा अन्य सामग्री की अनुमानित कुल खरीद राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि) वर्ष 2023–24

निविदा क्रम संख्या	निविदा कारागृह का नाम (दर अनुबन्ध हेतु कारागृह समूह)	बन्दी संख्या	दर संविदा का प्रकार	समस्त सामग्रियों की अनुमानित कुल खरीद राशि रू.	बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा शुल्क	RISL शुल्क
1	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर (ब. संख्या 1294) महिला बन्दी सुधारगृह उदयपुर (ब.संख्या 69) उप कारागृह, झाडौल (ब. संख्या 74), कानौड (ब.संख्या 19), कोटडा (ब.संख्या 35), मावली (ब.संख्या 27) एवं सलूम्बर (ब.संख्या 56) सहित	1574	आईटम दर	30,00,000	60,000	500	500
2	जिला कारागृह .बांसवाडा (ब.संख्या 343) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, कुशलगढ (ब.संख्या 53) हेतु	396	आईटम दर	13,00,,000	26,000	500	500
3	जिला कारागृह चित्तौडगढ (ब.संख्या 616) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, निम्बाहेड़ा (ब.संख्या 101), बेंगू (ब. संख्या 60) तथा कपासन (ब.संख्या 61) हेतु	838	आईटम दर	25,00,,000	50,000	500	500
4	जिला कारागृह, डूंगरपुर (ब.संख्या 210) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, सांगवाडा (ब.संख्या 99) हेतु	309	आईटम दर	10,50,000	21,000	500	500
5	जिला कारागृह ,प्रतापगढ (ब.संख्या 360) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छोटीसादडी (ब.संख्या 36) हेतु	396	आईटम दर	13,00,,000	26,000	500	500
6	जिला कारागृह, राजसमंद (ब.संख्या 221) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीम (ब.संख्या 15)	236	आईटम दर	7,00,000	14000	500	500

नोटः–

1–कार्य निष्पादन प्रतिभूति (जमानती) राशि अनुमानित कुल खरीद राशि के 2.5 प्रतिशत राशि के बराबर होगी।

2–निविदा के साथ शामिल किये गये केन्द्रीय, जिला कारागृहों एवं अधीनस्थ उप कारागृहों पर कारागृह की मांग पत्रानुसार संबंधित कारागृह पर ही आपूर्ति देय होगी, जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क/परिवहन लागत देय नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

: (Bid) बोली की मुख्य शर्तें::

1. शुल्क (fees)–

(अ) प्रत्येक बोली हेतु पृथक–पृथक बोली प्रतिभूति राशि 02 प्रतिशत, बोली प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग फीस ई–ग्रास (अनुसूची "ख" अनुसार) चालान (नियमानुसार) के द्वारा देय होगे।

(ब) ई–बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क/बोली प्रतिभूति राशि **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** के नाम ई–ग्रास चालान के द्वारा दी जायेगी।

(स) ई–बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की बोली प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम ई–ग्रास चालान के द्वारा अलग से दी जायेगी।

1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है रूपये 500/–प्रति बोली

2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से 01 करोड़ तक है–रूपये 1500/–प्रति बोली

3. यदि बोली की लागत राशि रूपये 01 करोड से 05 करोड़ तक है–रूपये 2000/–प्रति बोली

4. यदि बोली की लागत राशि रूपये 05 करोड से अधिक राशि है–रूपये 2500/–प्रति बोली

निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस एक ही ई–ग्रास चालान द्वारा ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।

(द) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के सम्बन्ध में (Bid Document Fees, Processing Fees & Bid Security Fees) शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(5) वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ई–ग्रास पोर्टल पर चालान **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** के पक्ष में बनाया जाना है, शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	बोली शुल्क का बजट मद/विवरण
बोली प्रपत्र शुल्क	बोली में निर्धारित राशि अनुसार	0075–00–800–52–01 **ई–ग्रास चालान द्वारा**
प्रोसेसिंग फीस	बोली में निर्धारित राशि अनुसार ; एम.डी, आर.आई.एस.एल (MD RISL ,JAIPUR)	8658–00–102–16–01 **ई–ग्रास चालान द्वारा**
बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत	8443–00–103–00–00 **ई–ग्रास चालान द्वारा**

(इ) वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के आदेश दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए ई–ग्रास चालान से बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना

आवश्यक है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई–ग्रास पोर्टल पर ऑनलाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क को किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा।

2. **पात्रता (Eligibility)-**

बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई–बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ई–बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

3. **दस्तावेज (Document)–**

(i) बोली के साथ बोलीदाता को वैध जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जी.एस.टी. बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। (इस संबंध में बोली परिशिष्ट–स की शर्त संख्या 3 (ii) देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण–पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण–पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv) बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

(v) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक–'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई–बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई–बोली में आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

4. **वैधता (Validity)–**

बोली की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

5. **बोली दस्तावेज में परिवर्तन–**

बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि–पत्र जारी कर बोली दस्तावेज में परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व इसके लिए उपापन संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

6. अन्य शर्त (Other condition)–

उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं अनुसूची क, ख, ग, घ तथा अनुलग्नक–अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

7. सामान्य सूचना (General Information)–

(i) यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (Substitute) किसी उपापन (Procurement) संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forefeit) किया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन (Procurement) संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने सेए तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा।

(iii) विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट– अ, ब स, द एवं अनुसूची क, ख, ग, घ, तथा अनुलग्नक (Annexure) – अ, ब, स, द का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत ही बोली प्रस्तुत करें।

(iv) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, Rajasthan Transparency in Puplic Procurement Rules, 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(v) उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।

(vi) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

(vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत **प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर** होंगे एवं **द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर** होंगे।

8. इस बोली की अनुसूची "ख" के अनुसार **दर अनुबन्ध किया जावेगा।**

9. वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुबंध अवधि तथा पुनरादेश अवधि में यदि किसी भी सामग्री की दरों में वृद्धि होती है तो विभाग द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही की जावेगी तथा बोलीदाता द्वारा जोड़ी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

10. अनुमानित क्रय की मात्रा विभागीय आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

11. यदि सामग्री निम्न गुणवत्ता की होगी तो वह सामग्री उपापन संस्था/उपापन समिति अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी।

12. खाद्य सामग्री/सब्जी की अनुमानित मात्रा में कमी/वृद्धि संभव है। वास्तविक मात्रा के अनुसार ही भुगतान, बजट उपलब्धता पर किया जावेगा।

13. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

14. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही ई–बोली भरी जावें।

15. बोलीदाता पर संदिग्ध गतिविधियों/भ्रष्टाचार/सरकारी संपत्ति एवं अन्य किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होने के संबंध में तथा फर्म का Black Listed नहीं होने का शपथ–पत्र 100 रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. फर्म द्वारा भेजे गये किसी भी कार्मिक/संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित सामग्री लाने पर नियमानुसार कानुनी कार्यवाही के साथ फर्म को 03 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

17. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) करके स्कैन कर बोली के साथ ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. अनुमोदित की गई दरें **दिनांक 31.03.2024** तक के लिये विधिमान्य होगी एवं विभाग की आवश्यकता अनुसार, आगामी तीन माह तक अनुबंधित बोलीदाता को इन्हीं दरों पर आपूर्ति करनी होगी बशर्ते कि उक्त अवधि में वस्तुओं/सामग्री की कीमत कम नहीं हुई हो/गिरी न हों।

19. ई–बोली दो बिड़ प्रणाली के तहत् आमंत्रित की जा रही है यथा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली। प्रथमतः समस्त बोली की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्डो के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/ सफल पाये गये बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।

20. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :–

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
Tele. No.02942940156

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह
उदयपुर

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अनुसूची ''क''

तकनीकी विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

1.	कारागृह अनुसूची ''ख'' के अनुसार कारागृह समूह का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2.	**अनुसूची ''ख'' के अनुसार निविदा कारागृह की क्रम संख्या**	
3.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई–मेल का पता	
	बैंक खाता संख्या विवरण (बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC कोड)	
4.	फर्म का जी.एस.टी. पंजीकरण क्रमांक (प्रति स्केन कर **संलग्न की जावे**)	
5.	जी.एस.टी. बकाया नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र **(संलग्न किया जावे)**	
6.	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण ई–ग्रास चालान की प्रति **(संलग्न की जावे)**	
7.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ई–ग्रास चालान की प्रति **(संलग्न की जावे)**	
8.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ई–ग्रास चालान की प्रति **(संलग्न की जावे)**	
9.	निविदा की मुख्य शर्त संख्या 15 के अनुसार **100 रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र संलग्न** करें।	
10	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य पंजीयन प्रमाण–पत्र/अनुज्ञा पत्र की **प्रति संलग्न** है।	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्कैन कर **''तकनीकी निविदा''** हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करे)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म :

पता :–

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

'अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर

परिशिष्ट ''अ''

(तकनीकी बोली प्रपत्र–क्वालीफाईंग विड)

1. केन्द्रीय / जिला / उप कारागृह.. जो कि निविदा की अनुसूची ''ख'' की निविदा क्रम संख्या .... पर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये खाद्य व्यवस्था हेतु दर अनुबंध बाबत ई–बोली।
2. ई–बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता, ई–मेल का पता एवं दूरभाष संख्या——
3. संदर्भः ई–बोली आमंत्रण सूचना संख्याः 239–248 दिनांकः 19 / 4 / 2023
4. मैं / हम **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** द्वारा जारी की गई ई–वोली आमंत्रण सूचना संख्या 239–248 दिनांकः 19 / 4 / 2023 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र / प्रारूपों (उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने **परिशिष्ट ''द''** पर हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
5. जिन कारागृहों के लिए आईटमवार दरें आमंत्रित की जा रही है वहॉ कारागृह द्वारा मांग पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में माल सुपुर्दगी करने एवं शेष अन्य कारागृहों तथा इनके साथ सम्मिलित इनके अधीनस्थ उप कारागृहों में, जहॉ डाइट दर आमंत्रित की जा रही है, वहॉ प्रतिदिन मांग पत्र प्राप्ति पर अगले दिन सामग्री की आपूर्ति संबंधित समस्त कारागृहों **पर FOR** करने बाबत् सहमति देते हैं।
6. फर्म के स्वामियों / भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची **संलग्न** है। (केवल फर्म की स्थिति में)।
7. अनुमोदित की गई दरें दिनांक 31.03.2024 तक के लिये विधिमान्य होगी एवं विभाग की आवश्यकता अनुसार, आगामी तीन माह तक अनुबंधित बोलीदाता को इन्हीं दरों पर आपूर्ति करनी होगी बशर्ते कि उक्त अवधि में वस्तुओं / सामग्री की कीमत कम नहीं हुई हों / गिरी न हों।
8. इसके साथ वांछित GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र अथवा जी.एस.टी. बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण अथवा शपथ–पत्र प्रस्तुत है।
9. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य पंजीयन प्रमाण–पत्र / अनुज्ञा पत्र की **प्रति संलग्न** है।
10. विनिर्माता / डीलर / सद्भावी सप्लायर्स आदि का घोषणा पत्र (**परिशिष्ट ''द'') भी संलग्न** है।
11. **अनुसूची ''क''** सामग्री सप्लायर्स की पूर्ति कर इसके साथ **संलग्न** कर दी गई है।
12. सामग्री ताजा एवं मानकों के अनुरूप आपूर्ति करनी होगी। खाद्य सामग्री की जॉच विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी समय की जा सकेगी, सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बोलीदाता की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर, बोलीदाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर क्रय कार्यवाही कर अंतर राशि उसके किसी भी जेल पर बकाया भुगतान में से समायोजित कर ली जावेगी एवं उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम ....

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर

परिशिष्ट "ब"

(वित्तीय/मूल्य बोली प्रपत्र–प्राईस बिड कारागृह समूह हेतु पृथक–पृथक भरी जावें)

बोली आमंत्रण क्रमांकः 239–248 दिनांकः 19/04/2023

केन्द्रीय/जिला कारागृह/उप कारागृह ------------------ जो कि निविदा की अनुसूची "ख" की निविदा क्रम संख्या .... पर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में बंदियों के लिये खाद्य व्यवस्था हेतु बोली।

1. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता एवं दूरभाष संख्या
   नाम--पता--

   दूरभाष संख्या ------------------------ ई–मेल ------------------------------------
2. संदर्भः–ई–बोली आमंत्रण सूचना 239–248 दिनांकः 19/04/2023

क्र.सं.	विवरण	दर अंकों में (रू.में प्रति किग्रा /लीटर	दर शब्दों में (रू. में प्रति किग्रा/ लीटर)
1	**हरी सब्जी**– ऋतु वर्गीकरण अनुसार (अनुसूची 'घ' के अनुसार)	**BOQ में दरें भरी जावें**	
2	लहसुन सूखा		
3	हरी मिर्च (नाश्ता छौक हेतु)		
4	प्याज (नास्ता छौक हेतु)		
5	हरा धनिया (चटनी हेतु)		
6	हरा पोदीना (चटनी हेतु)		
7	छाछ (कढ़ी हेतु)		
8	दूध (सरस/अमूल/लोट्स या समकक्ष) थैली पैक इत्यादि स्तरीय		

1. जिन कारागृहों पर दूध की आपूर्ति डेयरी द्वारा तय दरों पर की जाती है वहाँ दूध की दरें स्वीकृत नही की जायेगी। शेष अन्य कारागृहों पर जहाँ डेयरी उपलब्ध नही है वहाँ के लिए दूध की दरें स्वीकृत की जावेगी।
2. **उक्त दरें समस्त करों व अन्य व्ययों को शामिल करते हुये प्रस्तुत की जावे।**
3. दूध एवं छाछ की दरें "प्रति लीटर" में एवं अन्य सभी सामग्री की दरें "प्रति किलोग्राम" में मापी जायेगी।
4. उपरोक्त समस्त सामग्री में आवश्यकतानुसार मात्रा एव वस्तु विशेष में परिवर्तन किया जा सकता है।
5. आपूर्ति कर्ता या उसके प्रतिनिधि को कारागृह पर किसी अवांछित कार्यवाही में लिप्त पाये जाने अथवा आपूर्ति सामग्री में प्रतिबंधित वस्तु के पाये जाने पर उसे काली सूची (Black Listed) में ड़ालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा इस दुष्कृत्य के लिए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम फर्म...................................

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

परिशिष्ट–''स''

ई–बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोटः– बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रियाः–** बोली भरने की प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है

2. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना '' **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** .'' को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं '' **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** '' को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

3. <u>बिक्रीकर/जी.एस.टी. पंजीयन एवं बिक्रीकर ना बकाया प्रमाण–पत्र/शपथ पत्र</u> :–

   (i) कोई भी बोलीदाता जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित बिक्रीकर/जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। **प्रमाण–पत्र की प्रति स्कैन कर** प्रस्तुत करना होगा।

   (ii) बोलीदाता को बिक्रीकर **बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।**

4. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप **परिशिष्ट ''द''** को डाऊनलोड करने के वाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई– बोली के साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार बोली की मुख्य एवं सामान्य शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप **परिशिष्ट ''द''** को **स्कैन करके प्रस्तुत** नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।

5. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलीयों में भाग लेने के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

6. <u>दरेंः</u>

   (i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

   (ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

      (क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य

में दशमलव विन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उल्लेखित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दरें समस्त प्रकार के कर एवं प्रभार यथा जी.एस.टी., परिवहन, पैंकिंग चार्ज आदि आदि सम्मिलित करते हुये अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिवेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(v) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vi) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल उच्च क्वालिटी का पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(vii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(viii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(ix) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(x) सामग्री मांग पत्र अनुसार संबंधित कारागृहों एवं उनके अधीनस्थ कारागृहों पर FOR आपूर्ति करनी होगी, इसके लिए अतिरिक्त परिवहन लागत या शूल्क देय नहीं होगा।

7. **बोलियों का वित्तीय मूल्याकंन :–**

(i) राजस्थान के भीतर स्थित फर्मो को नियमानुसार क्रय अधिमानता दी जावेगी।
(ii) न्यूनतम कीमत एवं सर्वाधिक लाभप्रद वाली बोली को न्यूनतम बोली (L-1) माना जावेगा।

8. **बातचीत (Negotiation) :–**

(i) जहॉ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम दर या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

(ii) न्यूनतम दर या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

9. **बोली की विधि मान्यताः–**

दरों की वैद्यता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

10. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी, मात्रा आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है । यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन " **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** " को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

12. **स्पेसिफिकेशनः–**

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में " **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** " का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा ।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिन के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिन पश्चात बोलीदाताओ द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

13. **निरीक्षण एवं परीक्षण :–**

(i) (A) " **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** ." या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा ।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहॉ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान उच्च क्वालिटी के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

(iv) परीक्षण प्रभारः– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जा सकेगा, उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान निर्धारित स्तर या क्वालिटी के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(v) निरीक्षण प्रभारः– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्छित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रंसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) रद्द करना (Rejection):– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible)नही समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेंगें। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा ।

14. **माल की सप्लाई** :–

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिएं उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका मांग पत्र के अनुसार कारागृह एवं कारागृह के साथ सम्मिलित समूह कारागृह पर FOR दी जावेगी ।

15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

16. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली आमंत्रण में अंकित परिशिष्ट ''अ'' की शर्त संख्या 5 के अनुसार सप्लाई करेगा।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वांरा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर

17. माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (RepeatOrders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(iii) यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आऐगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

18. संविदा के अधिनिर्णय (AwardofContract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजनः–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी बोली (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा को प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

19. बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :–

(i) बोली के साथ अनुमानित क्रय मूल्य के 02 प्रतिशत के बराबर रूपये की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि ई–ग्रास चालान के माध्यम से ऑन–लाईन " **अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर** " के नाम से शीर्ष ''8443'' सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत जमा कराई जायेगी।

(iii) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय (Refund of Bid security) :–असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाऐगी।

(iv) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(v) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(vi) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):– बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

नहीं कराता है ।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता है।

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

20. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की **2.5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में संबंधित प्रभारी, कारागृह पर अथवा निर्देशानुसार जमा करानी होगी एवं राशि रूपये 500/– के** नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र संबंधित कारागृह प्रभारी (अधीक्षक/उपाधीक्षक कारागृह) के साथ निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "संबंधित कारागृह प्रभारी" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:–

(क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (Discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

नोट:– अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर

अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह उदयपुर

कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (**Forfeitureof Work Performance Security Deposit**):– सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगा:–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counterfoil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी ।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगे:–

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र

(vi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

21. भुगतान:–

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाऐगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

(vi) परिनिर्धारित क्षति (**Liquidated Damages**):–

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए – 5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए – 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए– 10%

(ड़) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

<u>नोट :</u> प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

22. **<u>वसूलियॉ:</u>**–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

23. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।

24. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

25. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

26. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

27. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

28. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

29. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने

चाहिए।

30. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह उदयपुर

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

परिशिष्ट "द"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं।
2. मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ, ब, स तथा ई–बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है तथा समस्त निविदा की शर्तों की पालना हेतु बाध्य है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकारा करने के प्रमाण स्वरूप)

नाम ....

नाम फर्म ....

....

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अनुलग्नक 'अ'

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) disclose conflict of interest, if any and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
  a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
  b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
  d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अनुलग्नक 'ब'

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अनुलग्नक 'स'

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary/Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i) hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अनुलग्नक 'द'

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document, It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No……….of…………..
Before the ………………………………..(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal
   :…………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………
   ……………………… (Supported by an affidavit)
7. Prayer
   :…………………………………………………………………………………………
   …………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………

Place …………………
Date …………………

Appellant's Signature

अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

अनुसूची "ग"

(बंदियों के लिये प्रतिदिन की डाइट स्केल) निर्धारित मात्रा (ग्राम में)

विवरण	श्रमिक	अश्रमिक
दूध– चाय के लिये	50	50
बेसन (कढी हेतु)	20	20
छाछ (कढी हेतु)	150 एमएल	150 एमएल
प्याज छौंक हेतु	5	5
हरी मिर्च छौंक हेतु	2	2
हरी सब्जी– ऋतु अनुसार	200	200
लहसुन सूखा।	15	15
चटनी– हरा धनिया/पोदीना मसाले सहित	10	10

अनुसूची "घ"

(ऋतु अनुसार प्रदाय की जाने वाली हरी सब्जियों का वर्गीकरण)

मार्च से जून	जुलाई से अक्टूबर	नववर से फरवरी
तर ककड़ी	भिंडी	पालक
खीरा	ग्वार फली	पत्ता गोबी
पालक	तुरई	फूल गोबी
काशीफल	काशीफल	मटर
टमाटर हरा व लाल	पालक	गाजर
लौकी	लौकी	मूली
टिंडसी	तर ककडी	अरवी
प्याज हरा व सूखा	ककडी/काचरी	सेम फली
आलू	टिंडसी	प्याज हरा/ सूखा
कैरी	बैंगन	टमाटर हरा व लाल
चंदलाई	आलू	आलू
तुरई	अरवी	बैंगन
पत्ता गोबी	कैरी	भिंडी
बैंगन	शलगम	
हरा धनिया/ हरा पोदीना	हरा धनिया/ हरा पोदीना	हरा धनिया/ हरा पोदीना

नोट – मांग पत्र में ऋतु अनुसार वर्गीकृत सब्जियों में से तीन सब्जियों का नामोल्लेख किया जायेगा जिनमें में से प्रदायक द्वारा कोई एक सब्जी दी जा सकेगी।